

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन शहर के झोन क्र.02 में साँची पैकड
दूध विक्रय हेतु
वितरक सहपरिवहनकर्ता नियुक्ति
हेतु ई-निविदा प्रपत्र
वर्ष 2023-24



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड डेयरी प्लांट, उज्जैन-456010
दूरभाष - 2527061,2527068,2527066

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मकसी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456010 (म.प्र.)

दूरभाष - 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

उज्जैन शहर के झोन क्र.02 में साँची पैकड दूध विक्रय हेतु वितरक सहपरिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा सूचना

उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उज्जैन शहर झोन क्र.02 में साँची पैकड दूध के वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते हैं। वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति की कार्यवाही का विवरण इस प्रकार हैं।

क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.01.2024 को www.mptenders.gov.in से रु.500/- के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 16.02.2024 समय 12:00 बजे तक
3	ई-निविदा ऑनलाइन के तकनीकी आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.02.2024 समय 02:00 बजे से, ऑनलाइन, उज्जैन दुग्ध संघ
4	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु.25000/- (राशि रु. पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करें एवं रसीद अपलोड करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रु.500/-के ऑनलाइन भुगतान पर ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद के साथ ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ को होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

महाप्रबंधक (संयंत्र संचालन)	प्रभारी (वित्त)	प्रभारी (एमआईएस)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (यांत्रिकी)	प्रभारी (क्रय)
--------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------------------	-------------------

पैकड दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 27.01.2024 को www.mptenders.gov.in से समय 12:00 बजे से
2	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 16.02.2024 अपराह्न 12:00 बजे तक
3	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 19.02.2024 एवं समय 02:00 बजे से, ऑनलाइन, उज्जैन दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	रु.25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से
5	दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु "आवश्यक अर्हताएं" का प्रारूप	प्रपत्र 01
6	दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
7	दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु निविदा प्रपत्र	प्रपत्र 03
8	"भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र - 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :-

- निविदाकर्ता को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाइन निविदा हैं। अतः निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये ज्ञोन संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाइन के द्वारा ही स्कैन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से प्राप्त निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
- निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- अपूर्ण दस्तावेज एवं बिना ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत कि गई ई-निविदा मान्य नहीं कि जावेगी।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

परिशिष्ट "01"

(तकनीकी अर्हताएं)

प्रपत्र 01

तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज			
1	निविदाकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		शासकीय/सक्षम संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/ गुमास्ता लायसेंस की छायाप्रति।			
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।			
3	निविदाकर्ता संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड/ गुमास्ता लायसेंस की छायाप्रति।			
4	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।			
5	निविदाकर्ता/फर्म का जीएसटी नंबर होना अनिवार्य हैं।		जीएसटी नंबर की छायाप्रति संलग्न करें।			
6	साँची दूध वितरण हेतु उपलब्ध स्वयं का चार पहिया (वाहन का प्रकार मॉडल -2020 या उसके बाद का) या नया वाहन खरीदने अथवा मॉडल - 2020 या उसके बाद का खरीदने या अनुबंधित वाहन लगाने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें।		<ul style="list-style-type: none"> उपलब्ध वाहन के पंजीयन की छायाप्रति लगावें। नया वाहन खरीदने अथवा मॉडल - 2020 या उसके बाद का खरीदने या अनुबंधित वाहन लगाने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। 			
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेंट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक की छायाप्रति लगावें।			
8	वितरक/होल सेलर/विक्रेता का वैध परिवहन सहित FSSAI लायसेन्स होना अनिवार्य होगा।		FSSAI लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें।			
9	ई.एम.डी. (राशि रु. 25,000/-)		ऑनलाइन जमा करें।			
10	पैकेट दूध विक्रय से निर्धारित टर्नओवर न्यूनतम तीन वर्ष मिलाकर (1 करोड़)		वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22, 2022-23 का (ट्रेडिंग अकाउंट) की सीए द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।			
11	वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22, 2022-23 आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें।)			
12	ई-निविदा प्रपत्र मूल्य रु. 500/-		ऑनलाइन जमा करें।			
13	निविदाकर्ता एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।			
	महाप्रबंधक (संयंत्र संचालन)	प्रभारी (वित्त)	प्रभारी (एमआईएस)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (यांत्रिकी)	प्रभारी (क्रय)

14	निविदाकर्ता दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
15	पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत का शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
16	पैकेट दूध व्यवसाय का न्युनतम 3 वर्ष का अनुभव		शपथ पत्र संलग्न करें या संबंधित कंपनी के लेटर हेड पर अनुभव प्रमाण पत्र।
17	सत्य जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी शपथ पत्र		शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट:-

1. उक्त समस्त शपथ पत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप अनुसार पृथक-पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में किसी भी समय असत्य पाये जाने पर साँची दूध वितरक सहपरिवहनकर्ता एजेंसी को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात कर ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायीक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

मोबाईल नम्बर -----

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता निविदा हेतु
आवश्यक शर्तें

1. निविदाकर्ता को निविदा के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है एवं निविदाकर्ता का वर्तमान व्यवसाय क्षेत्र उज्जैन शहर का होना आवश्यक है।
2. उज्जैन शहर में प्रत्येक झोन हेतु तकनीकी अहंताओं के परिक्षण व वित्तीय निविदा खोलने का क्रम निम्नानुसार होगा।
 1. झोन क्र. 1
 2. झोन क्र. 2
 3. झोन क्र. 3
 4. झोन क्र. 4
3. एक निविदाकार को अधिकतम दो झोन हेतु वितरक सहपरिवहनकर्ता का कार्य आवंटित किया जा सकेगा परन्तु चार झोन में भाग लेने हेतु पृथक-पृथक निविदाएं एवं ईएमडी राशि प्रस्तुत करनी होगी। दो झोन से अधिक झोन हेतु निविदा में चयन होने पर शेष झोन हेतु प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उसे तकनीकी रूप से अपात्र माना जावेगा।
4. निविदाकार को पैकेट दूध के विक्रय से न्युनतम तीन वर्ष मिलाकर कुल 1 करोड़ रुपये का टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा। जिसके सत्यापन हेतु वित्तीय वर्ष 20-21, 21-22 एवं 22-23 की सीए द्वारा हस्तक्षरित व सील लगी हुई ट्रेडिंग अकाउंट अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।
6. निविदाकर्ता को निविदा के साथ रुपये 25,000/- (अक्षरी रु. पच्चीस हजार मात्र) आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7. निविदाकर्ता को दुग्ध संघ में निविदा स्वीकृति सूचना उपरांत निम्नानुसार प्रतिभूति/अमानत राशि जमा करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

क्र.	जमा प्रकार	राशि
1	आरटीजीएस/नेफ्ट	600000/-
2	बैंक ग्यारंटी/FD	600000/-
कुल राशि		1200000/-

8. वितरक सहपरिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृति उपरांत साँची दूध वितरण हेतु तद्समय क्रेट की दर अनुसार न्यूनतम क्रेट संख्या 1000 के मान से उज्जैन दुग्ध संघ में क्रेट पेटे अमानत राशि जमा करनी होगी।
9. वितरक सहपरिवहनकर्ता को साँची ब्राण्ड की क्रेटों में ही दूध प्रदाय किया जावेगा एवं साँची ब्राण्ड की क्रेटे ही वापस ली जावेगी अन्य ब्राण्ड की क्रेटों की वापसी मान्य नहीं होगी। वितरक सहपरिवहनकर्ता को प्रतिदिन जितनी क्रेटे प्रदाय की जाएगी उतनी संख्या में क्रेटे प्रतिदिन संयंत्र में जमा करवाना अनिवार्य होगा यदि ऐसा परिलक्षित होता है कि वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा निश्चित समयावधि में क्रेटे संयंत्र में जमा नहीं की जा रही हैं तब प्रत्येक माह के अंतिम दिवस जितनी क्रेटे वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा माह में कम जमा की गई हैं उतनी क्रेटों की राशि का कटौती वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा जमा क्रेट पेटे अमानत राशि/परिवहन देयकों से किया जावेगा।
10. निविदाकर्ता को दुग्ध संघ में निविदा स्वीकृति सूचना उपरांत वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक मार्जिन रु. 0.36 प्रतिलीटर दिया जाएगा जो कि जो कि अनुबंध अवधि में परिवर्तित नहीं होगा। वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रतिलीटर आधार पर परिवहन दर का भुगतान 15-15 दिवस के देयक प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
11. वितरक सहपरिवहनकर्ता के द्वारा रिटेलर्स को साँची दूध की प्रदायगी उनके निर्धारित दुकान पर वितरक सहपरिवहनकर्ता के स्वयं/अनुबंधित वाहन से करनी होगी। दूध वितरण कार्य में आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था भी वितरक सहपरिवहनकर्ता को करनी होगी।
12. निविदाकर्ता को चयन उपरांत साँची दूध वितरण हेतु स्वयं के अथवा अनुबंधित न्यूनतम 02 ई-रिक्शा की व्यवस्था भी करनी होगी, जो कि आवश्यकतानुसार बढ़ाये जा सकेंगे।
13. वितरक सहपरिवहनकर्ता को उज्जैन शहर के झोन क्र.02 हेतु न्यूनतम 04 इंसुलेटेड वाहन अधिकतम क्रेट संख्या 150 की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी वाहन में अधिकतम 15 विक्रेताओं या अधिकतम 150 क्रेट जो भी पहले पूर्ण हो की मांग का दूध ही वितरण किया जा सकेगा। वितरक सहपरिवहनकर्ता को प्रतिदिन (सुबह-शाम) प्रति वाहन में प्रदायित दूध की मात्रा का विक्रेतावार जानकारी डेयरी डॉक उज्जैन संयंत्र को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थितियों शादी ब्याह, अन्य कार्यक्रम आदि में मांग बढ़ने पर 04 वाहनों के अतिरिक्त 150 क्रेट क्षमता से अधिक क्षमता के वाहन दुग्ध संघ की अनुमति से लगाए जा सकेंगे। प्रत्येक वाहन में अनिवार्य रूप से कार्यशील स्टेपनी उपलब्ध होना चाहिए।
14. वितरक सहपरिवहनकर्ता को प्रत्येक वाहनों में दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत जीपीएस सिस्टम डिवाइस स्वयं के व्यय से लगाना अनिवार्य है जीपीएस सिस्टम दुग्ध संघ द्वारा लगवाया जावेगा जिसका वार्षिक संधारण व्यय एवं अन्य चार्जस का भुगतान वितरक सह परिवहनकर्ता के परिवहन देयकों से कटौती कर किया जावेगा।

15. वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा वितरण हेतु लगाये जाने वाले वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध/रजिस्ट्री/वाहन रजिस्ट्रेशन तथा वाहनों पर कार्यरत वाहन चालक/हेल्पर की जानकारी हेतु आधार कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेन्स की छायाप्रति भी जमा करवाने होंगे।
16. वितरक सहपरिवहनकर्ता को अपनी मांग प्रतिदिन दुग्ध संघ को डेयरी डॉक पर लिखित में देना होगी एवं वितरक सहपरिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा लागू कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में कार्य करना अनिवार्य होगा।
17. वितरक सहपरिवहनकर्ता को चयन उपरांत अग्रिम राशि जमा करने पर ही साँची पैकड दूध डेयरी संयंत्र उज्जैन से प्रदाय किया जावेगा।
18. निविदा स्वीकृति उपरांत वितरक सहपरिवहनकर्ता को दुग्ध संघ में स्वहस्ताक्षरित 25 पन्नों की ब्लैंक चेक बुक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध क्रय की राशि तथा बकाया क्रेट की राशि दुग्ध संघ में जमा नहीं करने पर बकाया राशि की वसूली चेक के माध्यम से की जावेगी तथा चेक अनादरित होने पर न्यायालयीन/कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
19. वितरक सहपरिवहनकर्ता को साँची दूध प्राप्त करते समय पैकेट की जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की लीकेज मान्य नहीं होगा एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी वितरक सहपरिवहनकर्ता की रहेगी। विशेष परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की स्वीकृति उपरांत लीकेज वापस किये जा सकेंगे।
20. वितरक सहपरिवहनकर्ता को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित कर नोटराईज्ड कराना होगा। साथ ही वितरक सहपरिवहनकर्ता को तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
21. उज्जैन शहर में किसी भी विक्रेता/उपभोक्ता को विशेष परिस्थितियों में सीधे दूध प्रदाय करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
22. दुग्ध संघ से क्रय की गई दूध की मात्रा की राशि RTGS/NEFT/UPI के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी।
23. वितरक सहपरिवहनकर्ता को सम्पूर्ण उज्जैन शहर के झोन क्र.02 में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक होगा। साथ ही कार्यक्षेत्र में आवश्यकतानुसार रिटेल एजेन्सी प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव दुग्ध संघ को प्रस्तुत करना होगा दुग्ध संघ के अनुमोदन उपरांत रिटेल एजेन्ट नियुक्त किये जाएंगे।

महाप्रबंधक (संयंत्र संचालन)	प्रभारी (वित्त)	प्रभारी (एमआईएस)	प्रभारी (विपणन)	प्रभारी (यांत्रिकी)	प्रभारी (क्रय)
--------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------------------	-------------------

24. वितरक सहपरिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा दिये गए निर्देशानुसार प्रत्येक रिटेल एजेंसी पर दोनो पालीयों में निर्धारित समय पर (सुबह एवं शाम) दूध प्रदाय करना (किसी भी मात्रा में) अनिवार्य होगा। यदि वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा उक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है तो प्रति रिटेल पाईंट पर निर्धारित समय पर दूध नही पहुंचाने पर रू.500/-का कटौती जमा अमानत राशि/परिवहन देयकों से किया जावेगा। यदि वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा तीन बार से अधिक बार उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो उसका कार्य आवंटन समाप्त कर अमानत राशि राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज किया जावेगा।
25. वितरक सहपरिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा दिये गये समय सारणी अनुसार ही संयंत्र में दोनो पालियों में वाहन निर्धारित समय पर दूध लोडिंग एवं खाली क्रेट वापस जमा करने हेतु लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा वाहन देरी से आने पर प्रति वाहन रू.500/-का कटौती अमानत राशि/परिवहन देयकों से किया जावेगा।
26. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सहपरिवहनकर्ता को दुग्ध विक्रय हेतु समय-समय पर विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वितरक सहपरिवहनकर्ता को न्यूनतम प्रत्येक माह में पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की औसत विक्रय वृद्धि किया जाना अनिवार्य है जिसकी समीक्षा प्रत्येक तीन माह में की जावेगी। जिसके आधार पर संक्षिप्त समीक्षा कर दुग्ध संघ हित में प्रबंधन द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह वितरक सहपरिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
27. नेटवर्क स्थापित करने हेतु वितरक सहपरिवहनकर्ता को कम से कम 2 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उज्जैन शहर के झोन क्र.02 हेतु रखना होगा, जिनका कार्य प्रतिदिन निरीक्षण कर नवीन एजेंसी प्रारंभ करना होगा।
28. वितरक सहपरिवहनकर्ता को उज्जैन शहर के झोन क्र.02 में आने वाली समस्त शासकीय संस्थानों से मांग प्राप्त कर दूध प्रदाय करना होगा। साथ ही शासकीय संस्थानों को समय पर देयक प्रेषित कर भुगतान दुग्ध के खाते में आरटीजीएस करवाना होगा।
29. वितरक सहपरिवहनकर्ता साँची दूध के विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार स्वयं के व्यय पर भी प्रचार प्रसार करवायेगा। वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा संचालित वितरण वाहनो पर स्वयं के व्यय से साँची ब्राण्ड का विज्ञापन (विनाईल पेस्टिंग) कार्य करवाना होगा। वाहनों पर (विनाईल पेस्टिंग) का कार्य दुग्ध संघ द्वारा करवाया जावेगा जिसका कटौती वितरक सहपरिवहनकर्ता से परिवहन देयकों से किया जावेगा।
30. निविदा स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

31. प्राप्त निविदाओं में से जिन निविदाकर्ताओं द्वारा तकनीकी अर्हताएं पूर्ण की गई हैं उन सभी निविदाकर्ताओं की परिवहन दरें आनलाईन रूप से खोली जावेगी।
32. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता अथवा अन्य द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो कार्यादेश से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण करते समय वर्तमान अनुबंध से संबंधित लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कर नोड्यूज प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात ही कार्यादेश दिया जावेगा तथा ऐसा नहीं करने पर निविदाकार की दावेदारी निरस्त कर ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जावेगी।
33. दुग्ध संघ के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे ठेकेदार जिनकी तरफ दुग्ध संघ की कोई भी बकाया राशि, क्रेट अथवा अन्य सामग्री लंबित है इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व ठेकेदार इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि एवं क्रेट आदि दुग्ध संघ में जमा कर प्राप्त एनओसी को निविदा प्रक्रिया में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा स्वतः ही निरस्त हो जावेगा तथा ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जावेगी।
34. पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
35. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय उज्जैन होगा।
36. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ को होगा।
37. उज्जैन दुग्ध संघ डेयरी प्लांट उज्जैन से विपणन मार्गों की सूची निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 में झोनवार उल्लेखित है। प्रतिभागी निविदाकर्ता विपणन मार्ग का अध्ययन करने के उपरांत ही प्रति लीटर पर अपनी दरें समस्त व्यय एवं कर सहित प्रस्तुत करेंगे।
38. वितरक सहपरिवहनकर्ता को अपने कार्यालय में दुग्ध भण्डारण (न्युन्तम 500 लीटर) हेतु आवश्यक व्यवस्था (डीफ्रिज/रेफ्रीजेशन रूम) स्वयं के व्यय से करनी होगी।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

39. निविदा प्रपत्र की तिथी एवं समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्यदिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
40. सफल निविदाकर्ता को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकर्ता द्वारा औपचारिकताएं पुरी करने में विलंब किया जाता है तो अमानत राशि राजसात कर कार्य आवंटन समाप्त किया जावेगा।
41. दूध के परिवहन हेतु संलग्न किये जाने वाले वाहन के इंसूलेशन की जांच गठित समिति एवं दुग्ध संघ के टेक्नीकल एक्सपर्ट द्वारा की जावेगी। वाहन को इंसुलेटेड कराने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंशुलेटेड 02 इंच) का होना आवश्यक है तथा वाहन की इंसूलेटेड बॉडी का बेस पुरी तरह से कवर होना चाहिए। जांच के दौरान यदि वाहन का इंसूलेशन दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मानकों पर नहीं पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता का दायित्व होगा वह परिवहन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पुनः वाहन का इंसूलेशन निर्धारित मानकों पर तैयार करें एवं निविदा समिति के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत करें। इसके पश्चात् भी यदि वाहन निर्धारित मानकों पर नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
42. निविदाकर्ता को निविदा में डीजल दरों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन दर ही ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगी।
43. वितरक सह परिवहनकर्ता को आवंटित ज़ोन क्र.02 पर स्थित समस्त विक्रय केन्द्रों से दूध की मांग लेकर एकजाई मांग दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी। तथा प्रतिदिन दोनों समय की विक्रय केन्द्रवार मांग की जानकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी। विक्रय केन्द्र अनुवार प्रतिदिन मांग अनुसार वितरक सह-परिवहनकर्ता को स्वयं के स्तर पर शीट चालान तैयार करनी होगी एवं ई-मेल के माध्यम से सॉफ्टकापी एवं छायाप्रति प्रतिदिन तथा मासिक आधार पर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
44. निविदाकर्ता को निविदा में वर्णित दर में केवल परिवहन दर ही अंकित करनी होगी। वितरक सहपरिवहनकर्ता को परिवहन दर का भुगतान 15-15 दिवस में देयक प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
45. वर्तमान में जिस व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध दुग्ध संघ का न्यायीक प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, ऐसे व्यक्ति/फर्म आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

46. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत आवेदनकर्ता को रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न है)
47. निविदाकार को निविदा के साथ रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा निविदा को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो। (प्रारूप संलग्न है)
48. निविदाकार को आवेदन के साथ किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। इस आशय का रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप संलग्न है)
49. निविदाकार को निविदा के साथ सत्य जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप संलग्न है)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

उज्जैन, शहर के झोन क्र.02 में साँची पैकड दूध वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु
ई-निविदा प्रपत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम —
2. पिता/पति का नाम —
3. स्थाई पता (प्रमाण सहित) —
दूरभाष नं. /मोबाईल नं. —
4. E- mail id _____
5. शैक्षणिक योग्यता —
6. वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित झोन क्र./नाम —
7. (अ) पेन नम्बर —
(ब) FSSAI —
(स) आधार कार्ड नम्बर —
(द) जीएसटी नम्बर —
8. आवेदक/फर्म का नाम /यदि —
फर्म पार्टनरशिप है ता पार्टनरशिप
फर्म की पूर्ण जानकारी
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।
9. वर्तमान व्यवसाय —

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

10. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का अथवा —
 अनुबंधित वाहन होना आवश्यक) —
 वाहन के पंजीयन/अनुबंध की —
 छायाप्रति या शपथ पत्र संलग्न करें।
11. धरोहर/ई.एम.डी. राशि — रू.....
 ऑनलाइन

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक हेतु आवेदन की समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 49 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी (ईएमडी) राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता

.....

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

साँची दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु भाव पत्र
(केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु)
(उज्जैन शहर झोन क्रमांक 02 हेतु)

1. निविदा में निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता/करती हूँ। (केवल ऑनलाईन प्रस्तुत की गई दर ही मान्य की जावेगी।)

क्र.	विवरण	प्रस्तावित दर (रूपये/पैसे) प्रतिलीटर	
		अंको में	शब्दों में
1	परिवहन दर रू. प्रतिलीटर	ऑनलाईन प्रस्तुत करे।	ऑनलाईन प्रस्तुत करे।

नोट :- यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती है तो चयन गठित समिति के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

निविदाकार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
 एवं पूर्ण पता

पता-----

महाप्रबंधक
 (संयंत्र संचालन)

प्रभारी
 (वित्त)

प्रभारी
 (एमआईएस)

प्रभारी
 (विपणन)

प्रभारी
 (यांत्रिकी)

प्रभारी
 (क्रय)

अनुबंध प्रपत्र

यह अनुबंध आज दिनांकको लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अथवा इस पद पर आने वाले पदाधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती...../ प्रोप्रायटर मेसर्स..... है।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उज्जैन शहर के झोन क्र.02 के लिए साँची दुग्ध का वितरक सह परिवहनकर्ता निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त करना स्वीकार किया है।

ई-निविदा की शर्तें परिशिष्ट "02" इस अनुबंध का एक भाग है, जिसे वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु शर्तें कहा जावेगा, उक्त शर्तों में जहां – जहां दुग्ध संघ शब्द आवेगा, उसका अर्थ उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन से होगा एवं इसकी समस्त शर्तें दोनों पक्षों के लिए लागू रहेगी।

वितरक सह परिवहनकर्ता से तात्पर्यसे होगा, जिसे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। यह ठेका प्रारंभ दिनांकसे तीन वर्ष की अवधि हेतु अर्थात् दिनांकतक प्रभावशील रहेगा।

1. वितरक सह परिवहनकर्ता को रूपये 0.36 (पैसा) वितरक मार्जिन तथा निविदा में प्राप्त न्यूनतम परिवहन दर रु..... प्रतिलीटर दिया जावेगा।
2. वितरक सह परिवहनकर्ता को रिटेलरों को साँची दूध की प्रदायगी उनके निर्धारित दुकान पर स्वयं/अनुबंधित इंसुलेटेड चार पहिया वाहन मॉडल 2020 या उसके बाद का से करनी होगी। दूध वितरण कार्य में आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था भी वितरक सह परिवहनकर्ता को ही करनी होगी।
3. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा वितरण हेतु लगाये जाने वाले वाहनों के आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध/रजिस्ट्री/वाहन रजिस्ट्रेशन तथा वाहनों पर कार्यरत वाहन चालक/हेल्पर की जानकारी हेतु आधार कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेन्स की छायाप्रति भी दुग्ध संघ में जमा करवाने होंगे। प्राप्त जानकारी के अतिरिक्त अन्य किसी वाहन/वाहन चालक का डेयरी संयंत्र में प्रवेश निषेध होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से अन्य वाहन वितरण हेतु लगाया जाता है तो वाहन एवं वाहन चालक की सूचना 01 दिवस पूर्व दुग्ध संघ में देना होगी।
4. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा डेयरी संयंत्र उज्जैन से शर्तों में वर्णित स्वयं के नाम से पंजीकृत/अनुबंधित वांछित क्षमता (150 क्रेट) के इंसुलेटेड वाहन से आवश्यकतानुसार पैकेट दूध उठाया जाएगा एवं उज्जैन शहर झोन क्र.02 के समस्त कॉलोनियों/मोहल्लों में स्थित साँची रिटेलर्स को निर्धारित समय एवं स्थान पर दूध वितरित किया जाएगा, तथा प्रतिदिन सुबह एवं शाम दोनों पालियों में अनिवार्य रूप से प्रदायगी करनी होगी। वितरक सहपरिवहनकर्ता को दुग्ध

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

संघ द्वारा दिये गए निर्देशानुसार प्रत्येक रिटेल एजेंसी पर दोनो पालीयों में निर्धारित समय पर (सुबह एवं शाम) दूध प्रदाय करना (किसी भी मात्रा में) अनिवार्य होगा। यदि वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा उक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है तो प्रति रिटेल पाईट पर निर्धारित समय पर दूध नही पहुचाने पर रु.500/-का कटौत्रा जमा अमानत राशि से किया जावेगा। यदि वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा तीन बार से अधिक उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो उसका कार्य आवंटन समाप्त कर अमानत राशि राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज किया जावेगा।

5. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्यरत रिटेलर्स को/ऐसे क्षेत्र (मॉर्डन ट्रेड के आउटलेट जैसे रिलायंस, डीमार्ट आदि) जहां दुग्ध संघ द्वारा दूध प्रदायगी की जा रही है में वितरक सह परिवहनकर्ता को अनिवार्य रूप से दूध प्रदाय करना होगा।
6. वितरक सह परिवहनकर्ता को शहर में एक कार्यालय खोलना होगा तथा इस कार्यालय में समस्त आवश्यक विपणन संबंधी अधोसंरचना स्थापित करना होगी साथ ही कार्य आवंटित होने की स्थिति में कार्यालय में दुग्ध भण्डारण (न्युन्तम 500 लीटर) हेतु आवश्यक व्यवस्था (डीफ्रिज/रेफ्रीजेशन रूम) स्वयं के व्यय से करनी होगी।
7. वितरक सह परिवहनकर्ता को एक उपयुक्त व्यक्ति दोनों पारियों में समय पर मांग प्रस्तुत करने, समय पर क्रेट वापस जमा करने, क्रेटों का नियमित मिलान कराने एवं अपने समक्ष वितरण वाहन डिस्पेच करने के लिए नियमित डेयरी डॉक उज्जैन पर रखना होगा। वितरक सहपरिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा दिये गये समय सारणी अनुसार ही संयंत्र में दोनो पालियों में वाहन निर्धारित समय पर दूध लोडिंग/खाली केरेट अनलोडिंग हेतु लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा वाहन देरी से आने पर प्रति वाहन रु.500/-का कटौत्रा अमानत राशि से किया जावेगा।
8. वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध वितरण करने, हेतु समस्त रिटेलर्स से पृथक-पृथक मांग प्राप्त कर समेकित कर डेयरी संयंत्र उज्जैन में प्रस्तुत करना होगा तथा दुग्ध संघ द्वारा रिटेलर्स या उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले मार्जिन, अग्रिम कार्ड छूट या अन्य प्रोत्साहन योजना को यथावत पास ऑन करना होगा।
9. वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ में निम्नानुसार प्रतिभूति/अमानत राशि जमा करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

क्र.	जमा प्रकार	राशि	एमआर क्र.
1	आरटीजीएस/नेफ्ट	600000/-	
2	एफ.डी.	600000/-	
कुल राशि		1200000/-	

10. वितरक सह परिवहनकर्ता को दैनिक रूप से दुग्ध विक्रय के विरुद्ध राशि संबंधित रिटेलर्स से स्वयं वसूल करना होगी।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

11. वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रतिदिन दुग्ध विक्रय राशि (सुबह शाम मिलाकर) का भुगतान आरटीजीएस (ई-पेमेन्ट) के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा। ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर दुग्ध प्रदाय किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे – इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर डाउन होने, आदि की स्थिति में वितरक की संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। धनादेश देकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश बाउंस होने पर दुग्ध संघ के नियम अनुसार रुपये 1000/- प्रतिदिन अर्थदण्ड सहित संपूर्ण राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरकपर कानुनी कार्यवाही मय हर्जे-खर्चे के साथ करने हेतु स्वतंत्र होगा, तथा बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। या उसके द्वारा रखी गई जमानत राशि/बैंक ग्यारंटी फिक्स डिपॉजिट/ग्यारंटर से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अवकाश की स्थिति में अवकाश दिवसों की प्रदायगी की धनराशि भी अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। यह भुगतान चेक/आरटीजीएस के माध्यम से संघ द्वारा प्राप्त किया जाएगा। दुग्ध संघ द्वारा बताई गई बैंकों की सूची में से किसी एक बैंक में वितरक सह परिवहनकर्ता को वित्तीय व्यवहार के लिए खाता खोलना अनिवार्य होगा। विक्रेताओं से राशि वसूलने की कोई भी जिम्मेदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी।
12. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा कार्य प्रारंभ करने पर 1000 क्रेट्स की दर राशि रु..... प्रति क्रेट के मान से क्रेट पेटे अमानत राशि जमा की गई हैं। कार्यअवधि में प्रतिमाह कम क्रेट जमा करने पर उक्त जमा अमानत राशि से कटौती किये जाने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित है। विक्रय में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार वितरक सह परिवहनकर्ता को अतिरिक्त क्रेट अमानत राशि दुग्ध संघ में जमा करनी होगी।
13. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा जितने क्रेट दुग्ध प्रदाय हेतु लिये जाएंगे उतने ही क्रेट दैनिक रूप से दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा तथा वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा अपने दस्तावेज लाकर क्रेटों का मिलान प्रत्येक 10 दिवस में दुग्ध संघ के रिकॉर्ड से करना होगा।
14. वितरक सह परिवहनकर्ता को शाम पाली की मांग दैनिक रूप से दिन के 11 बजे तक एवं अगले दिन की प्रातः पाली की मांग शाम की 3 बजे तक दुग्ध संघ को अवगत कराना होगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में यदि मांग में वृद्धि की जाना है तो वितरक सह परिवहनकर्ता कार्यालय से सहमति लेने के उपरांत ही मांग की पुष्टि कर सकेगा। दुग्ध संघ स्तर से पूरे प्रयास किये जाएंगे कि वितरक सह परिवहनकर्ता को मांग अनुसार दूध प्रदाय किया जा सके। किन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि दुग्ध संघ द्वारा मांग अनुसार दूध प्रदाय संभव नहीं हो पाता है तो दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।
15. वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध वितरण व्यवस्था स्वयं के नाम के पंजीकृत/अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन से करना होगी जिससे की दूध गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव परलक्षित न हो।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

16. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर वितरण वाहनों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन से पेन्ट/विनाईल पेस्टिंग कराना आवश्यक होगा।
17. किसी भी वाहन के खराब होने पर, दुर्घटनाग्रस्त होने या अन्य कोई कमी होने के कारण वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था स्वयं वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने स्तर से करना अनिवार्य होगा तथा ऐसी स्थिति में हुए सभी प्रकार का नुकसान वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
18. दुग्ध संघ स्तर से दूध की बिलिंग, वितरक मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन काटकर ही की जावेगी एवं वितरक द्वारा रिटेलर/फुटकर विक्रेता को उनका मार्जिन कम कर ही राशि प्राप्त की जावेगी। इस प्रकार फुटकर विक्रेता को दैनिक रूप से उनके द्वारा विक्रय किये गये दूध का रिटेलर मार्जिन प्राप्त हो सकेगा।
19. दुग्ध संघ द्वारा संस्थाओं को सीधे प्रदाय किये गये दूध की मात्रा पर अनुबंधित परिवहन व्यय दिया जाएगा। यदि दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्था को प्राप्त मात्रा में कोई भिन्नता/कमी होती है तो कम मात्रा की धनराशि वितरक सह परिवहनकर्ता से वसूल की जाएगी।
20. यदि वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दिये गये बैंक द्वारा किसी भी कारण से अनादरित कर बिना भुगतान के वापस किये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा तत्काल उसकी सूचना वितरक सह परिवहनकर्ता को मोबाईल/या दूरभाष पर ही दी जावेगी तथा वांछित राशि वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा तत्काल दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। साथ ही प्रत्येक अनादरित चेक के लिए राशि रुपये 1000/- अर्धदण्ड सहित दुग्ध संघ कार्यालय में आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराना होगी।
21. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा प्रदाय चेक केवल तकनीकी कारणों को छोड़कर माह में तीन या उससे अधिक बार अनादरित होते हैं तो संक्षिप्त समीक्षा कर वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
22. किन्हीं भी कारणों से वितरक सह परिवहनकर्ता को कार्य छोड़ने हेतु एक माह पूर्व (30 दिवस) का नोटिस देना अनिवार्य होगा। नोटिस अवधि में दुग्ध संघ द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। किन्तु निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित करने पर वितरक सह परिवहनकर्ता को यथावत कार्य करना होगा। इसी प्रकार उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता को 30 दिवस का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताएं हटा दिया जा सकेगा। यदि वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा कार्य करने से मना किया जाता है तब दुग्ध संघ द्वारा अमानत राशि राजसात कर ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

23. वितरक सह परिवहनकर्ता के पास पेन कार्ड नम्बर, एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस एवं इस कार्य से संबंधित वर्तमान में लागू या भविष्य में शासन द्वारा लागू किये गये समस्त वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
24. यदि वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा दिये गये लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है तथा आवश्यक शर्तों का उल्लंघन करता है तो दुग्ध संघ नवीन वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
25. निविदा की शर्तों/अनुबंधों में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर वितरक सह परिवहनकर्ता को बिना कोई अग्रिम सूचना दिए दुग्ध संघ द्वारा हटाया जा सकेगा एवं यदि दुग्ध संघ उचित समझेगा तो वितरक सह परिवहनकर्ता की अमानत राशि राजसात की जायेगी।
26. वितरक सह परिवहनकर्ता की कार्यावधि प्रथमतः तीन वर्ष होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
27. किसी भी दशा में यदि दुग्ध संघ द्वारा किसी रिटेलर की आपूर्ति बन्द कर दी जाती है तो वितरक सह परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा कि उस क्षेत्र के नियमित उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करें। यदि वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी पॉर्लर/एजेन्सी की प्रदायगी बन्द की जाती है तो प्रदायगी बन्द करने के पूर्व दुग्ध संघ को इसका कारण बताना होगा तथा दुग्ध संघ की बिना पूर्व अनुमति के प्रदायगी बन्द नहीं की जा सकेगी।
28. वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रतिमाह रिटेलरवार प्रतिदिन की विक्रय होने वाले दूध की मात्रा का माह में औसत विक्रय रिपोर्ट विक्रय केन्द्रों से प्राप्त कर दुग्ध संघ में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
29. शहर में समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, मेला प्रदर्शनी आदि आयोजनों में लगने वाले दूध की मांग यदि दुग्ध संघ को सीधे प्राप्त होती है तो दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दरों पर दूध प्रदायगी वितरक सह परिवहनकर्ता के माध्यम से की जाएगी, संबंधित आयोजनकर्ता/संस्था से दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित छूट देते हुए वितरक सह परिवहनकर्ता को भुगतान प्राप्त करना होगा। अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा बिलिंग/प्रदायगी सीधे करने पर वितरक सह परिवहनकर्ता को ऐसी प्रदायगियों पर कोई मार्जिन भुगतान नहीं किया जावेगा।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

30. वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से निर्धारित वितरक मार्जिन पर साँची पैकड दूध एक्स डेयरी डॉक उज्जैन पर उसकी मांग अनुसार विक्रय हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भुकंप आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक सह परिवहनकर्ता की मांग अनुसार उसे साँची दूध की उपलब्धता नहीं करा पाता है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
31. कार्य आवंटन उपरांत अनुबंध अवधि में यदि वितरक सह परिवहनकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य को आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों को निर्वहन करने के लिए वितरक सह परिवहनकर्ता को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। यदि वह उत्तराधिकारी दुग्ध संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है तब इसके लिए वितरक सह परिवहनकर्ता को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संबंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
32. वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध प्राप्त करते समय प्रत्येक दृष्टि से उसकी जांच परख सुनिश्चित करना होगा। प्रदाय होने के पश्चात लीकेज/कम मात्रा अथवा क्रेट की जवाबदारी वितरक सह परिवहनकर्ता की होगी।
33. दुग्ध संघ को किसी भी अन्य पार्टी/वितरक/रिटेलर/संस्था/होटल/केन्टीन शादी समारोह में सीधे भी दूध प्रदाय करने का अधिकार होगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ हित में कार्य नहीं किया जा रहा है तो दुग्ध संघ द्वारा सीधे रिटेलर्स को दूध प्रदाय करने का एकाधिकार सुरक्षित है।
34. वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन अहस्तांतरणीय होगा। यदि कार्य अवधि में किसी भी समय यह पाया जाता है कि वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी अथवा संस्था आदि को हस्तांतरित किया है तो दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
35. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के संबंध में कोई विवाद खड़ा हुआ तो उसे मध्यस्थता (Arbitrator) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
36. इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांकनिष्पादित किया गया है।
37. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा उज्जैन शहर के झोन क्र.02 में स्थित साँची दूध के समस्त रिटेलर्स को (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है) साँची दूध, निर्धारित दर एवं समयावधि में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगा।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

38. दुग्ध संघ डेयरी डॉक उज्जैन से पैकड साँची दूध क्रेट में रखकर देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक सह परिवहनकर्ता को उठाना होगा। डेयरी डॉक से वितरक सह परिवहनकर्ता छांट कर अच्छी तरह से देखकर दूध का पैकेट प्राप्त करेंगे एक बार प्रदायगी पश्चात गुणवत्ता एवं लिकेज टूट-फूट आदि की जिम्मेदारी वितरक सह परिवहनकर्ता की होगी।
40. वितरक सहपरिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा दिये गये समय सारणी अनुसार ही संयंत्र में दोनो पालियों में वाहन निर्धारित समय पर दूध लोडिंग एवं खाली क्रेट वापस जमा करने हेतु लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा वाहन देरी से आने पर प्रति वाहन रु.500/-का कटौती अमानत राशि से किया जावेगा।
41. नेटवर्क स्थापित करने हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता को कम से कम 2 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उज्जैन शहर झोन क्र.02 हेतु रखना होगा, जिनका कार्य उज्जैन शहर झोन क्र.02 में प्रतिदिन निरीक्षण कर नवीन एजेन्सी प्रारंभ करना होगा।
42. वितरक सह परिवहनकर्ता को उज्जैन शहर की समस्त शासकीय संस्थानों से मांग प्राप्त कर दूध प्रदाय करना होगा। साथ ही शासकीय संस्थानों को समय पर देयक प्रेषित कर भुगतान दुग्ध संघ के खाते में आरटीजीएस करवाना होगा।
43. वितरक सह परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर के नाम व पता दुग्ध संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
44. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को दुग्ध संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य वितरक सह परिवहनकर्ता अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ, वितरक सह परिवहनकर्ता को कार्य आवंटन बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहेगा।
45. वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दी गई मांग अनुसार दुग्ध संघ द्वारा प्रदायगी हेतु डी.एम. /गेटपास बनाये जाएंगे। वितरक द्वारा डी.एम./गेटपास अनुसार ही दूध की मात्रा वाहन में लोड की जावेगी। निरीक्षण के दौरान कभी भी डी.एम./गेटपास में अंकित विवरण से अधिक मात्रा में दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री पायी जाती है तो अधिक पाई गयी दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री की उपभोक्ता दर से 100 गुना तक अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। इसकी बार-बार पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
46. वितरक सह परिवहनकर्ता वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं रिटलर्स के बीच उठे विवादों को वितरक सह परिवहनकर्ता अपने उपस्थिति में शांती पूर्वक सुलझावेगा, ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आने पाए।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

47. वितरक सह परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्णरूपेण जवाबदार होगा, तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्णरूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
48. वितरक सह परिवहनकर्ता से जो भी बकाया राशि/अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना आवेदन प्रपत्र/अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित/प्रावधानित है की वसूली वितरक सह परिवहनकर्ता से उनके द्वारा रखी अमानत राशि से की जाएगी।
49. वितरक सहपरिवहनकर्ता को साँची दूध प्राप्त करते समय पैकेट की जाँच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की लीकेज मान्य नहीं होगा एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी वितरक सहपरिवहनकर्ता की रहेगी। विशेष परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की स्वीकृति उपरांत लीकेज वापस किये जा सकेंगे।
50. आवश्यकता पड़ने पर उज्जैन शहर में दुग्ध उत्पाद का परिवहन वितरक सह परिवहनकर्ता के द्वारा दुग्ध वाहन के माध्यम से किया जावेगा, जिसके लिए वितरक सह परिवहनकर्ता को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
51. वितरक सह परिवहनकर्ता प्रतिमाह समस्त रिटेलर्स को 10 तारिख तक उनके द्वारा विक्रय की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य से उपलब्ध कराएगा।
52. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अन्तर्गत वितरक सह परिवहनकर्ता के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा तथा रिटेलर्स की संख्या बढ़ाने पर सभी रिटेलर्स को प्रदाय करना होगा।
53. निविदा की प्रक्रिया, निविदा की समस्त शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जारी पत्र/परिपत्र भी इस अनुबंध का भाग माने जाकर वितरक सह परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होंगे।
54. डेयरी परिसर में अंदर वितरक सह परिवहनकर्ता के अधिन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धुम्रपान, तम्बाकू, शराब आदि का सेवन एवं ऊंची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा, साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 कि.मी. प्रतिघंटा रखी जावेगी।
55. वितरक सह परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

56. वितरक सह परिवहनकर्ता की दुग्ध संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना दुग्ध संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु दुग्ध संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।
57. वितरक सह परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा दुग्ध संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
58. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी।
59. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी वितरक सह परिवहनकर्ता की होगी।
60. टंकण त्रुटि के कारण अनुबंध की शर्तों की अस्पष्टता अर्थात् शर्तों को स्पष्ट करने, शर्तों को हटाने एवं जोड़ने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का होगा।
61. यह कि उज्जैन शहर झोन क्र.02 में श्री/मेसर्स साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता के रूप में परिवहन दर रु.....पैसे प्रतिलीटर वितरक मार्जिन अंको में रु. 0.36 पैसे प्रतिलीटर (शब्दों में छत्तीस पैसे प्रतिलीटर) कुल योग अंकों में रु.. प्रतिलीटर (शब्दों में.....प्रतिलीटर) पर कार्य करेंगे।

मै. पिता/पति/पत्नि..... वितरक सह परिवहनकर्ता उज्जैन शहर झोन क्र.02 अपना उत्तराधिकारी, (नामिनी), श्री/श्रीमती को घोषित करता हूँ।

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषप्रद कार्य करने पर "नोड्यूज" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि/बैंक ग्यारंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने यह अनुबंध पत्र की समस्त शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
 मर्या. मक्सी रोड़, उज्जैन –
 456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
 साँची दूध वितरक सह
 परिवहनकर्ता
 नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :.....

पता:.....

महाप्रबंधक
 (संयंत्र संचालन)

प्रभारी
 (वित्त)

प्रभारी
 (एमआईएस)

प्रभारी
 (विपणन)

प्रभारी
 (यांत्रिकी)

प्रभारी
 (क्रय)

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर झोन क्र.02 में साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा उज्जैन शहर के लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन शहर झोन क्र.02 में साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा की गयी है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नवीन/वर्ष 2020 या उसके बाद का दूध की मांग अनुसार वांछित क्षमता का इन्सुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा मेरा आवेदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर झोन क्र.02 में साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा उज्जैन शहर झोन क्र. 02 के लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी की सत्यता हेतु
स्वयं द्वारा सत्यापित शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर झोन क्र.02 में साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गयी हैं। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा निविदा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारियों पूर्ण रूप से सत्य हैं।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य अवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाई जाती है तब साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायलयीन कार्यवाही नहीं की जाएगी।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

मेरे द्वारा जिला उज्जैन हेतु साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु निविदा प्रस्तुत की गयी है। तत्संबंध मैं/मेरी संस्था मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण/आर्थिक अनियमितता संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य, आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

पैकेट दूध विक्रय अनुभव संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर झोन क्र.02 में साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसमे मेरे द्वारा उज्जैन शहर झोन क्र.02 के लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा वर्ष..... से दूध व्यवसाय किया जा रहा है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

महाप्रबंधक
(संयंत्र संचालन)

प्रभारी
(वित्त)

प्रभारी
(एमआईएस)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(यांत्रिकी)

प्रभारी
(क्रय)

झोन क्रमांक - 02

क्र.	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान का नाम	औसत दुग्ध विक्रय मात्रा (लीटर)
1	फ्रेश एण्ड फ्रेश	सिन्धी कॉलोनी	36
2	श्री माया किराना	प्रकाश नगर	40
3	दीपमाला वर्मा	विवेकानन्द कॉलोनी	36
4	हरिओम ट्रेडर्स	विवेकानन्द कॉलोनी	68
5	अग्रवाल नर्सिंग होम	विवेकानन्द कॉलोनी	200
6	माधव क्लब पॉर्लर	माधव क्लब के सामने	36
7	श्याम किराना	शास्त्री नगर	36
8	बालक राम डेयरी	सिन्धी कॉलोनी	120
9	धर्मन्द्र कोल्ड्रींग्स	सिन्धी कॉलोनी	120
10	प्रकाश नगर पॉर्लर	प्रकाश नगर तीन बत्ती चौराहा	150
11	जैन किराना	सिन्धी कॉलोनी	72
12	गोपाल किराना	सिन्धी कॉलोनी	48
13	शिव परमार	शास्त्री नगर	78
14	स्वास्तिक किराना	शास्त्री नगर	68
15	आराध्य किराना	सिन्धी कॉलोनी	98
16	धर्मन्द्र प्रजापति	सिन्धी कॉलोनी	120
17	स्वर्ग सुन्दरम् पॉर्लर	सिन्धी कॉलोनी	100
18	धर्मन्द्र प्रजापति	इन्दौर रोड़ उज्जैन	120
19	पालीवाल एजेन्सी	इन्दौर रोड़ उज्जैन	500
20	जैन नमकीन	लाल गेट	180
21	राज श्री किराना	इन्दौर रोड़ उज्जैन	110
22	गोपाल मेधवाल	इन्दौर रोड़ उज्जैन	130
23	आनन्द श्री पॉर्लर	नानाखेड़ा बस स्टेशन	120
24	विद्यापति पॉर्लर	विद्यापति कॉलोनी	120
25	महांकाल किराना	परिसर इन्दौर रोड़	60
26	नानाखेड़ा वर्मा जी	इन्दौर रोड़ उज्जैन	80
27	मदनलाल रोल पॉर्लर	नानाखेड़ा	850
28	रामेश्वर	यातायात थाना	150
29	शर्मा साँची	बसन्त विहार	150
30	बालाजी एसटीडी पॉर्लर	बिड़ला हॉस्पिटल	150
31	शुभम मांगलिक पॉर्लर	शुभम मांगलिक परिसर	80
32	हाटकेश्वर कॉलोनी सज्जनसिंह	हाकेश्वर कॉलोनी	50
33	ऋषि नगर पॉर्लर	ऋषि नगर	250
34	भगवती पॉलीवाल	ऋषि नगर	280
35	व्यास नगर पॉर्लर	व्यास नगर	120

36	सोनु एव्हरफ्रेश	व्यास नगर	120
37	बाबुलाल बेण्डवाल अलखधाम	अलखधाम	100
38	भगवानसिंह	मॉ शक्ति नगर	120
39	आदर्श नगर पॉर्लर	देवास रोड उज्जैन	120
40	मेवाडा किराना	साई विहार कॉलोनी	86
41	क्षिप्रा विहार कालोनी पार्लर	क्षिप्रा विहार उज्जैन	32
42	कुणाल हिंगे	वंसत विहार इंदौर रोड	12
43	अनिल राज भटनागर	वंसत विहार राम मंदिर के सामने उज्जैन	12
44	दिपेश सिसौदिया	अम्बेडकर नगर नानाखेड़ा उज्जैन	12
45	चन्द्रप्रभाष गायकवाड़	बी-26 / 13, वेद नगर, नानाखेड़ा उज्जैन	12
46	भारती तिरले	त्रिवेणी विहार कालोनी उज्जैन	12
47	आयुष नागर	वृदावन धाम कालोनी, इंदौर रोड उज्जैन	24
48	नितिन सोनी	सी-40, तिरुपति डायमण्ड कालोनी, उज्जैन	24
49	लोकेन्द्र पंचोली	हाटकेश्वर विहार दाउदखेड़ी, उज्जैन	48
50	सु.श्री. दीपिका साहू	सी-42, तिरुपति डायमण्ड कालोनी, दाउदखेड़ी,	24
51	राजेश निगम	एलआईजी 146, इंदिरा नगर, उज्जैन	12
52	श्रीमती गुरदीप कौर	सिटी, आर.के. पुरम मल्टी के सामने नागझिरी देव	60
53	कुलदीप सिंह जाट	8 / 8, जवाहर नगर शापिंग काम्प्लेक्स उज्जैन	84
54	संतोष राव	महादेव किराना एण्ड जनरल स्टोर्स, देवास रोड, उज्जैन	20
55	प्रदीप बैण्डवाल	2 / 9, अलखनन्दा नगर नानाखेड़ा, उज्जैन	36
56	विजय वर्मा	273 / 9, शास्त्री नगर, उज्जैन	36
57	हिमांशु चौहान	ए-एलआईजी-6 / 2, त्रिवेणी विहार उज्जैन	36
58	संगीता पति वासुदेव	ए-136, हाटकेश्वर विहार, उज्जैन	12
59	आनंद वाघेला	इंदौर रोड, मेघदुत गार्डन के सामने, उज्जैन	48
60	सौरभ निगम	42, युवराज इंटरप्राइजेस, तिरुपति डायमण्ड कालोनी उज्जैन	36
61	कंचन जाटवा	79, संत हिराराम सिटी, हामूखेड़ी, उज्जैन	12
62	सुनिता अखण्ड	लक्ष्मी नगर, संत बालानाथ धर्मशाला उज्जैन	36
63	नीत आल इन वन	आर.के. पुरम नागझिरी देवास रोड, उज्जैन	36
64	ओशो साँची पार्लर	ऋषि नगर पेट्रोल पंप देवास रोड, उज्जैन	50
	औसतन दुग्ध विक्रय		6198

उज्जैन शहर समस्त कार्यक्षेत्र का चार भागों में विभाजन निम्नानुसार है :-



नोट :- मार्गवार कार्यक्षेत्र की अधिक जानकारी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्यालयीन दिवस में उज्जैन दुग्ध संघ की विपणन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।